न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार, (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्या :– 67/2020
पुनःदर्ज संख्या :– 255/2021 दर्ज दिनांक :– 30.09.2021

शीर्षक

1. पवन कुमार पुत्र बनवारी लाल
2. हिम्मतसिंह पुत्र बनवारीलाल
3. सायरी देवी पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान वादीगण

बनाम

1. सिंधारा मीणा पुत्र सुरज मीणा
2. वचन मीणा पुत्र सुरज मीणा
3. नागर मीणा पुत्र सुरज मीणा
4. मन्नी देवी पत्नी सुरज मीणा
5. केला देवी पुत्री सुरज मीणा
6. चम्पा पुत्री सुरज मीणा (नाम हज्फ)
7. स्तनी पत्नी बसन्त मीणा
8. सन्ती पत्नी नागर

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 03.07.2025

वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा के द्वारा पेश वाद पत्र निम्न भाति है कि आराजी हाल खसरा नं. 921/0.40, वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली में स्थित है जिसे आगे वाद मे आराजी मुतदाविया से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार कास्तकार वादीगण है एवं मौके पर कदिमी से बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है परन्तु प्रतिवादीगण झगडालु व अपराधिक किस्म के व्यक्ति है एवं जबरन ताकत के बल पर – वादीगण की उपरोक्त आराजी मे दखल अंदाजी पैदा करते है एवं वादीगण को उपरोक्त आराजी मे कास्त करने में बाधा उत्पन्न करते है।

वादीगण कल अपने खेतो मे भूमि को बीजाई हेतु तैयार कर रहे थे इतने मे ही प्रतिवादीगण एक राय होंकर आये एवं वादीगण के टैक्टर मे पत्थर वगै. फेकने लगे एवं वादीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी कि वे वादीगण को उपरोक्त भूमि कास्त नही करने देगे वादीगण ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे हे इसलिये वादीगण को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी हाल खसरा नं. 921/0.40, वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली मे वादीगण को शांतिपूर्वक कास्त करने देवे वादीगण के कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी पैदा न करे एवं वादीगण के कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की मजा मत पैदा न करे व खडडे वगै, न खोद डोल वगै. न तोडे फसल तथा पेड वगै. को न काटे के लिये पाबन्द किया जावे। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उपरोक्त आराजी मे वादीगण को कास्त करने से कल मजामत करने से पैदा हुआ। आराजी मुतदाविया एवं फरीकेन अदाजल हाजा क्षेत्राधिकार में निवासरत है, इसलिये वाद सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। वाद नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

अतः एक किता डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर से प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी हाल खसरा नं. 921/0. 40 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली हाल तह पावटा मे वादीगण को शांतिपूर्वक कास्त करने देवे वादीगण के कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी पैदा न करे एवं वादीगण के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की मजा मत पैदा न करे व खडडे वगै. न खोद डोल वगै. न तोडे फसल तथा पेड वगै. कोन काटे के लिये पाबन्द किया जावे। अन्य जो दादरसी मान्य न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05, 07 व 08 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 06 से कोई अनुतोष नही चाहने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद उभयपक्ष की बहस स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाबदावा बिन्दुवार निम्नानुसार है कि जिम्मन नम्बर 01 में वर्णित तथ्यों में अंकित भूमि खसरा नम्बर 1921/0.40 वाके मौजा पावटा में स्थित होना स्वीकार है। जिम्मन नम्बर 02 जिस प्रकार से अंकित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर ना तो वादीगण काबिज है, ना काश्त है और ना ही वादीगण का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से कोई ताल्लुक वास्ता है। वादीगण के दादा रामनाथ के समय से ही प्रतिवादीगण और उनके पिता/पति उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है। जिम्मन नंबर गलत है स्वीकार नही है। जब वादीगण का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से कोई लेना देना ताल्लुक वास्ता ही नही है और प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर अपने पिता व पति के जीवनकाल से ही काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी मोके बाहजोत कर रहे है। जिम्मन नंबर 04 गलत है स्वीकार नही है। मौके पर प्रतिवादीगण आज भी काबिज काश्त है। वादीगण का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। समस्त तथ्य मनगढन्त मिथ्या अंकित किये है। जिम्मन नम्बर 05 गलत है स्वीकार नही है। जिम्मन नम्बर 06 व 07 कानूनी है। अंत में उपमद अ,ब,स कतई गलत है स्वीकार नही है। वादीगण माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष या दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। अतः सेवामें जवाब दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण का वाद मय हर्जा-खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करे।

जवाब पेश होने पर तनकी कायम की गयी, जो निम्नानुसार है –

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण को दखलअंदाजी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। ..... वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है।..... प्रतिवादीगण

3 दादरसी.....

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तनकीयात कायम होने के उपरान्त साक्ष्य वादी में वादी/साक्षी पवन कुमार पुत्र बनवारीलाल मीणा के बयान/जिरह करवाये गये तथा वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–01 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्यवादी पूर्ण होने के बाद प्रतिवादी को दिनांक 10.02.2022 से साक्ष्य हेतू अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नही करने के उपरान्त साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 02.02.2023 बन्द कर पत्रावली बहस हेतू नियत की गयी। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2024 को साक्ष्यप्रतिवादी मे साक्ष्य प्रस्तूत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो उभयपक्षों की बहस उपरान्त दिनांक 22.08.2024 को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि वकील प्रतिवादी अपनी साक्ष्य आगामी 20 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, वर्ना साक्ष्य प्रतिवादी स्वतः बन्द की जावेगी। इसके उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा ना ही बयान शपथ और साक्ष्य पेश किया। जिसके उपरान्त न्यायालय ने प्रतिवादी को साक्ष्य हेतू अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण दिनांक 05.12.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली बहस हेतू नियत की गयी।

वकुलाये फेरिकेन की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

1. **आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण को दखलअंदाजी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।** ..... **वादीगण**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसमें उन्होने अपने मौखिक व दस्तोवजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श 01 पेश की है। जिसके विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 921/0.40 हैक्ट वाके मौजा पावटा तहसील पावटा सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार वादीगण है। साक्षी पवन कुमार ने अपने बयान/जिरह में एवं वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रामनाथ मेरा दादा है, बनवारी मेरा पिता है, वादग्रस्त भूमि पर हम वादीगण का काबिज–काश्त है, उक्त भूमि पर कोई मकान नही बना हुआ है तथा मौके पर सरसो की फसल वादीगण ने ही बो रखी है। मुझे दावा इसलिये करना पड़ा है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर पशु वगैरा खुले छोड़ देते है। उक्त भूमि पर वादीगण के अलावा किसी और का कब्जा नही है, प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण ही काबिज काश्त है, इस तथ्य को वादीगण ने साबित किया है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में तैय की जाती है।

2. आया वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है।..... **प्रतिवादीगण**

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। इस हेतू प्रतिवादी को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य/बयान शपथ पत्र पेश नही किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का नाम जमाबन्दी में गलती से इन्द्राज हो गया है जबकि सम्पति पैतृक है, कब्जा मेरा हैं। परन्तु प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस को साबित करने हेतू कोई ऐसा दस्तोवज/साक्ष्य पेश नही किया कि जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है और उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध में तैय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

निष्कर्ष – तनकी नम्बर एक को वादी के पक्ष में तैय किया गया है तथा तनकी नम्बर दो प्रतिवादीगण के विरूद्ध तैय किया गया है। इस प्रकार वादीगण अपने वादपत्र के तथ्यो को साबित करने में सफल रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल नम्बर 921/0.40 हैक्टयर भूमि वाकै मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्थित में वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत/दखलान्दाजी पैदा न करे, वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादीगण की उक्त आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़) सत्यमेव जयते

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 67/2020
पुनःदर्ज संख्या :– 255/2021 दर्ज दिनांक :– 30.09.2021

शीर्षक

1. पवन कुमार पुत्र बनवारी लाल
2. हिम्मतसिंह पुत्र बनवारीलाल
3. सायरी देवी पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान वादीगण

बनाम

1. सिंधारा मीणा पुत्र सुरज मीणा
2. वचन मीणा पुत्र सुरज मीणा
3. नागर मीणा पुत्र सुरज मीणा
4. मन्नी देवी पत्नी सुरज मीणा
5. केला देवी पुत्री सुरज मीणा
6. चम्पा पुत्री सुरज मीणा (नाम हज्फ)
7. स्तनी पत्नी बसन्त मीणा
8. सन्ती पत्नी नागर

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल नम्बर 921/0.40 हैक्टयर भूमि वाकै मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्थित में वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत/दखलान्दाजी पैदा न करे, वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादीगण की उक्त आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 03.07.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई है।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	1	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	1
जोड़		जोड़	